संख्या-2466/2015/मुमस/2410/34-3/अधि0/2015

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
विशेष सचिव,
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2015

विषय - मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त सन्दर्भों के निस्तारण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1/2015/मुमस/2410/चौतीस-3/अधि0/2015 के क्रम में दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1/2015/मुमस/2410/चौतीस-3/अधि0/2015 दिनांक 05.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05.11.2015 के प्रस्तर-3 में ऐसे सन्दर्भों को जिनके संलग्नकों की संख्या काफी अधिक हो, डाक के माध्यम से भेजे जाने का प्राविधान किया गया है, के संबंध में यह व्यवस्था निर्धारित की जाती है कि 10 पृष्ठ से कम वाले पत्र शासनादेश दिनांक 05.11.2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार केवल scan एवं upload किए जायेंगे तथा उसकी हार्डकापी नहीं भेजी जाएगी। ऐसे पत्र जिनके पृष्ठों की संख्या 10 पृष्ठ अथवा उससे अधिक है उनके मुख्य-मुख्य पृष्ठों को scan एवं upload किया जायेगा तथा सम्पूर्ण सन्दर्भ डाक के माध्यम से भेजा जायेगा।

भवदीय,

(अमित गुप्ता)
विशेष सचिव, मुख्यमंत्री।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव/विशेष सचिव/विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासना।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अमित गुप्ता)
विशेष सचिव, मुख्यमंत्री।